

एमआरओ/डीओएस/डीएके/2025/04084

24 जनवरी, 2024

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियाँ

महोदया/ महोदय,

आवास वित्त कंपनियों के आंतरिक तकनीकी मूल्यांकनकर्ता

1. आवास वित्त कंपनियों के पर्यवेक्षी निरीक्षण के दौरान, बैंक ने पाया कि ऐसे कई उदाहरण हैं, जहाँ मूल्यांकनकर्ताओं के पास वे अपेक्षित योग्यताएँ नहीं हैं, जो 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी— आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2021' (जिसे 'पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017' के साथ पढ़ा जाए) के तहत निर्धारित की गई हैं।
2. इसके अतिरिक्त, बैंक ने नमूना आधार पर आवास वित्त कंपनियों से जानकारी एकत्र की, जिसमें यह पाया गया कि मूल्यांकनकर्ताओं की योग्यताएँ और अनुभव उपर्युक्त 'मास्टर निर्देश' के अनुरूप नहीं हैं।
3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आवास वित्त कंपनियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि मूल्यांकनकर्ता, मास्टर निर्देश के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के तहत निर्धारित योग्यता और अनुभव से संबंधित न्यूनतम पात्रता मानदंडों का अनिवार्य रूप से पालन करें।
4. आवास वित्त कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त निर्देश का अनुपालन 07 फरवरी, 2025 तक प्रस्तुत करें।

भवदीय



(एस.के. पाठी)

महाप्रबंधक

पर्यवेक्षण विभाग